रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253371
CG-DL-E-26032024-253371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1454]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946**
No. 1454]	**NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 1523(अ).—निम्नलिखित अधिसूचना प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित भी किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्र सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जहाँ कि, सुखना वन्यजीव अभयारण्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है और पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। यह अभयारण्य शिवालिक तलहटी में स्थित है जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और भौगोलिक रूप से अस्थिर है। सुखना वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 25.9849 वर्ग किमी

(6420.99 एकड़) है। देशांतर और अक्षांश के हिसाब से यह (बाएँ - 76.810241पू, दाएँ - 76.888207 पू, ऊपर - 30.809699 उ, नीचे - 30.742053 उ) के बीच स्थित है।

और जहाँ कि , संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताएं और वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता मौजूद है। इसके पारिस्थितिक, जीव-जंतु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक महत्व के कारण, वन्यजीवों और उनके आवास की रक्षा, प्रसार और विकास के उद्देश्य से, इस क्षेत्र को चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना संख्या 694, HII (4)-98/4519 दिनांक 6 मार्च 1998 के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था;

और जहाँ कि, 2010 के दौरान भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के मार्गदर्शन में की गई वन्यजीव गणना के अनुसार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची- I के तहत सूचीबद्ध कई प्रजातियों के सुखना वन्यजीव अभयारण्य में पाये जाने की बात कही गई है। इनमें प्रमुख प्रजातियाँ हैं:- तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), सांभर (रूसा यूनिकलर), भारतीय साल (मैनिस क्रैसिकाउडाटा), गोल्डन जैकाल (कैनिस ऑरियस), इंडियन पीफॉवल (पावो क्रिस्टेटस), किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्ना), अजगर/इंडियन रॉक पायथन (पायथन मोलुरस) और मॉनिटर लिजार्ड (वरनस बेंगालेंसिस) । सुखना वन्यजीव अभयारण्य में मौजूद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सूचीबद्ध अनुसूची- II प्रजातियों में रेड जंगल फाउल (गैलस गैलस), रसेल वाइपर (दबोइया रसेली) और ग्रे लंगूर (सेम्नोपिथेकस एंटेलस) सम्मिलित हैं;

और जहाँ कि, इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की तितलियां और पतंगे भी पाये जाते हैं। इस अभयारण्य में दीमक एंथिल भी पाये जाते हैं जो माइक्रोटर्मिस और ओडोन्टोटर्मिस जैसे दीमकों को आश्रय देते हैं - जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक जीव हैं। क्षेत्र में मौजूद खाद्य कवक में पफ बॉल्स (लाइकोपर्डन पुसिलम) और टर्मिटोमाइसेस भी हैं;

और जहाँ कि, जैव-विविधता समृद्धि की दृष्टि से, यह जन्तुओं की कई प्रजातियों का आवास है जिसमें संकटग्रस्त भारतीय पैंगोलिन और नाजुक सामान्य तेन्दुये आते हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र में कोई भी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय या स्थानिक नहीं है, फिर भी संरक्षित क्षेत्र में मौजूद अवशेष जैव विविधता के लिए क्षेत्र का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है;

और जहाँ कि, अभयारण्य में पेड़ों, झाड़ियों, पर्वतारोहियों और जड़ी-बूटियों की कई प्रजातियाँ हैं, इसके अलावा थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और लाइकेन की अच्छी संख्या है। प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ है खैर (अकाकिया कैटेचु), आंवला (एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस), बहेड़ा (टर्मिनलिया बेलिरिका), सेन (टर्मिनलिया अल्ता), कचनार (बौहिनिया वेरिएगाटा), फुलाई (अकाकिया मोडेस्टा), कीकर (अकासियानिलॉटिका), रोंझ (वचेलिया ल्यूकोफ्लोआ), शीशम (डाल्बर्गियासिस्सू), छाल (एनोजीसस लैटिफोलिया), नीम (अज़ादिराचटेन्डिका), सेमल (बॉम्बैक्सेइबा), ढाक (ब्यूटेमोनोस्पर्मा), कचनार (बौहिनिया वेरिएगाटा), शहतूत (मोरस अल्बा), पेपर शहतूत (ब्रोसोनेटिया पपीरीफेरा), झिंगन (लैनिया कोरोमंडेलिका), तेंदू (डायस्पायरोसमोंटाना), कढ़ी पत्ता (मुर्रेया कोएनिगी), मेस्काइट (प्रोसोपिसजुलिफ्लोरा), अमलतास (कैसिया फिस्टुला), बेर/ भारतीय बेर (ज़िज़िफ़स जुजुबे) । प्रमुख झाड़ियाँ हैं- अडूसा/कॉमन कफ क्योर (जस्टिसिया एडहाटोडा), करौंदा (कैरिसा कैरेंडस), कैंथ (पाइरस पाशिया) और सम्हालु (विटेक्सनेगुंडो), आदि। मल्झान/ऊंट पैर पर्वतारोही (फेनेरा वाहली) अभयारण्य का प्रमुख पर्वतारोही है;

और जहाँ कि, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जीव-जंतु प्रजातियाँ सामान्य तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), सांभर (रुसा यूनिकलर), मुंजक (मुंटियाकस मुंटजैक), भारतीय साल (मैनिस क्रैसिकौडाटा), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), सियार (कैनिस ऑरियस इंडिकस), छोटा भारतीय सिवेट (विवेरिकुला इंडिका), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), इंडियन क्रेस्टेड साही (हिस्ट्रिक्स इंडिका), हनुमान लंगूर (सेमनोपिथेकस एंटेलस), रीसस मकाक (मकाका मुलत्ता), भारतीय खरगोश (लेपस निग्रिकोलिस), सामान्य नेवला (उरवा एडवर्ड्सि), पांच धारीदार गिलहरी (फनाम्बुलस पेनाटी) आदि हैं;

और जहाँ कि, यहाँ जलीय पक्षियों सहित पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ हैं। उनमें से प्रमुख हैं- कॉमन क्रो (कोरवस स्प्लेंडेंस), इंडियन स्पैरो (पासर डोमेस्टिकस), बी ईटर (मेरोप्स ओरिएंटलिस), पर्पल सनबर्ड (सिनारिस एशियाटिकस) इंडियन पीफॉवल (पावो क्रिकाटाटस), रेड जंगल फाउल, ग्रे पार्ट्रिज (ऑर्टीगोर्निस पांडिसरियनस), कोयल, इंडियन नाइट जार (कैप्रिमुलगस एशियाटिकस), यूरेशियन गोल्डन ओरिओल (ओरियोलस ओरिओलस), व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर (हेल्सीओन स्मिरनेंसिस), पाइड किंगफिशर (सेरिल रुडिस), इंडियन स्विफ्ट (एरोड्रामस यूनिकलर), कॉमन हूपो (उपुपा एपॉप्स), हॉर्नबिल्स, कॉपरस्मिथ बारबेट (मेगालिमा हेमासेफला), ब्राउन हेडेड बारबेट (मेगालिमा ज़ेलेनिका), ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक वुडपेकर (डिनोपियम बेंघालेंस), इंडियन रोलर (कोरासियास बेंघालेंसिस), बार्न आउल (टायटो अल्बा), रोज़ रिंग्ड पैराकिट (सिटाकुला क्रेमेरी), प्लम हेडेड पैराकिट (हिमालयैप्सिटा सायनोसेफला) एलेक्जेंड्राइन पैराकिट (सिटाकुला यूपेट्रिया) रिंग नेक्ड डव (स्ट्रेप्टोपेलिया कैपिकोला), चित्तीदार कबूतर (स्पिलोपेलिया चिनेंसिस), ब्रोंज-विंगड

जैकाना (मेटोपिडियस इंडिकस), तीतर-पूंछ वाला जैकाना (हाइड्रोफैसियनस चिरुर्गस), रेड-वॉटल्ड लैपविंग (वेनेलस इंडिकस), यूरेशियन कूट (फुलिका अत्रा), शिकरा (एक्सीपीटर बैडियस), गीज़, हंस , बत्तख आदि;

और जहाँ कि, इस अभयारण्य में पायी जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण सरीसृप प्रजातियों में किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्ना), रैट स्नेक (पाइटस म्यूकोसा), कॉमन क्रेट (बंगारस कैर्यूलस), रसेल वाइपर (दबोइया रसेली), इंडियन पायथन और कॉमन मॉनिटर छिपकली, आदि सम्मिलित हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की तितलियां भी पाई जाती हैं प्लेन टाइगर (डैनॉस क्रिसिपस), स्ट्रिप्ड टाइगर (डैनॉस जेनुटिया), कॉमन सार्जेंट (एथिमा पेरियस), कॉमन जेजेबेल (डेलियास यूचेरिस), पीकॉक पैंसी (जूनोनिया अल्माना), लेमन बटरफ्लाई (पैपिलियो डेमोलियस), ब्लू टाइगर (तिरुमाला लिम्नियास), कॉमन तेंदुआ तितली (फालांटा फालन्था) और क्रो बटरफ्लाई (यूप्लोइया कोर) तो इस क्षेत्र में बहुत ही आम हैं। मधु मक्खियों (एपिडे) में इंडियन रॉक बी (एपिस डोरसाटा), इंडियन बी (एपिस सेराना इंडिका), इटालियन बी (एपिस मेलिफेरा) और लिटिल बी (एपिस फ्लोरिया) पायी जाती हैं;

और जहाँ कि, सुखना वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा और सीमा को पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना और उद्योगों को प्रतिबंधित करना आवश्यक है या उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों की श्रेणी और उनके संचालन और उनकी प्रक्रियाओं पर भी प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है;

और जहाँ कि, हरियाणा सरकार ने अपने पत्र संख्या 682, दिनांक 16 फरवरी, 2024 के माध्यम से यह विशेष रूप से कहा है कि हरियाणा की ओर के सुखना झील अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की घोषणा के लिए यह प्रारुप अधिसूचना पंजाब और हरियाण उच्च न्यायालय के दिनांक 02 मार्च, 2020 के उस आदेश के अनुरुप है जो उसने रिट याचिका (सी) सं. 18253/2009 और 5809/2015 : न्यायालय का स्वयं का प्रस्ताव बनाम चण्डीगढ़ प्रशासन में दिया है।

अतः अब, केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे एतश्मिन् पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरयाणा राज्य के सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को सुखना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे एतश्मिन् पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, यथा:-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

1) यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ईएसजेड) सामान्य तौर पर हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1000 मीटर तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग में यह आरक्षित वन में 2 किमी तक और बढ़ गया है। पूर्वी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा लगभग 1000 मीटर है, जो आरक्षित वन की सीमा के साथ-साथ जाती है। हालाँकि, इसे आरक्षित वन की सीमा के साथ सह-सीमावर्ती बनाने के लिए दक्षिण-पूर्वी भाग का विस्तार किया गया है। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 24.60 वर्ग किलोमीटर है।

2) इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन को चार जोनों में बांटा गया है। जोन-I का विस्तार सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक होगा, जबकि जोन-II में संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर से 300 मीटर के बीच का क्षेत्र आयेगा। जोन-III में संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर से 700 मीटर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र आयेगा। इस संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर से 1000 मीटर तक के शेष क्षेत्र को जोन-IV के रूप में नामित किया जाएगा।

(3) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत दस गांव यानी प्रेमपुरा, सोखोमाजरी, दामला, लोहगढ़, मानकपुर ठाकरदास, सूरजपुर, चंडीमंदिर कोटला, दर्रा खरौनी, रामपुर और सकेतरी/महादेवपुर आते हैं। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 6078.98 एकड़ (2460.07 हेक्टेयर) होगा। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे .-

i) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तहत आने वाले सेक्टर 1, सेक्टर 2 का कुछ हिस्सा और जिमखाना क्लब समेत सेक्टर 3 ।

ii) कुछ ट्यूबवेल चैंबर, पैरा ग्लाइडिंग उद्यान और सेक्टर-1 एमडीसी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।

iii) चंडीमंदिर छावनी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (सैन्य स्टेशन चंडीमंदिर की छोटे हथियारों की फायरिंग रेंज, केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान फार्म सहित क्षेत्र)।

iv) एमसी पंचकुला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का भाग।

v) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले दस गांवों में से दो गांव-सकेतरी और प्रेमपुरा सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 700 मीटर के दायरे में आते हैं। जबकि सकेतरी गांव में घर सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.00 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जबकि प्रेमपुरा गांव की बस्ती सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 300 मीटर से 700 मीटर की दूरी पर है।

(4) ऐसे क्षेत्र का सीमा विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र अनुलग्नक II में दिया गया है।

(6) सुखना वन्यजीव अभयारण्य (सारणी क) और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन (सारणी ख) के अक्षांश और देशांतर को अनुलग्नक III के रूप में दिया गया है।

(7) प्रमुख बिंदुओं के समन्वय के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन की आंचलिक महायोजना.–**

1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी

(2) आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमोदित कराना होगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन की आचंलिक महायोजना को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार तैयार किया जायेगा।

(4) आंचलिक महायोजना को संबंधित राज्य के सभी विभागों यथा:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि और

(viii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से तैयार किया जायेगा जिससे कि इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिक विचारों को समाहित किया जा सके।

(5) जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक कारगर और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(7) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना में स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, यथा:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए अभिज्ञात उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या औद्योगिक संबंधित विकास क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या इसके संपरिवर्तन की अनुमति नही होगी:

बशर्ते कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन को निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

v. पैरा-4 में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

बशर्ते यह भी कि राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

बशर्ते यह भी कि उपरोक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि हरित क्षेत्र, जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई परिणामी कमी नहीं आने दी जायेगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि इस क्षेत्र में या इसके नजदीक उन निर्माण क्रियाकलापों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा जो इस क्षेत्र के लिए घातक हों।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(क) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ख) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, यथा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(ii) जोन 1 (सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से हरियाणा की ओर 100 मीटर की दूरी तक) और जोन 2 (सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से हरियाणा की ओर 100 से 300 मीटर की दूरी तक) के भीतर होटलों और रिसोर्टों के नये निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना के अनुमोदन नहीं मिल जाता है तब तक सम्बन्धित विनियामक अधिकारी पर्यटन के विकास और वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार के लिए कोई भी अनुमति मानीटरिंग कमेटी के द्वारा ऐसे स्थल विशेष की गई जांच और उसकी सिफारिशो के आधार पर ही देंगे।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि का पता लगाया जायेगा और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण, के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में, एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसमें संशोधन के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएंगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 351 (ई), दिनांक 15 मई, 1981 द्वारा जारी वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रकाशित और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 58(ई), दिनांक 27 फरवरी 1975 द्वारा जारी जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रकाशित और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे जैसे- सीएनजी, एलपीजी आदि ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.-

(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना है उन क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसमें एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (ईआईए), 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए

	उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन कार्य टी. एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 435/2012 में गोवा फाउडेशन बनाम भारत संघ के मामले में और आईए. सं. 1000/2003 के दिनांक 03.06.2022 के निर्णय में और उसके बाद आईए. सं. 131377/2022 के दिनांक 26.04.2023 और 28.04.2023 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के आये आदेशों के अनुसार ही किये जायेगें।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	जलावन लकड़ी का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
7.	भूजल संचयन सहित वाणिज्यिक जल संसाधन।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भूजल सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग निषिद्ध होगा और पानी के प्रदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।
8.	नए थर्मल और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
9.	नए लकड़ी-आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भीतर किसी भी नए लकड़ी-आधारित उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु मौजूदा लकड़ी-आधारित उद्योग कानून के अनुसार जारी रह सकता है: परंतु मौजूदा आरा मिलों के लाइसेंस का नवीनीकरण उनकी समाप्ति पर नहीं किया जाएगा।
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्म की स्थापना।	लागू कानूनों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर)। परंतु स्थानीय किसानों द्वारा अपनी आजीविका के निर्वाह के लिए केवल छोटे पैमाने के पोल्ट्री फार्म ही स्थापित किए जा सकें।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	21.09.2004 में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा चित्रित मानचित्र के अनुसार और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रिट में 02 मार्च, 2020 के आदेश के अनुरूप, सुखना वन्यजीव अभयारण्य के जलग्रहण क्षेत्र में किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। याचिका (सी) संख्या 18253/ 2009 और 5809/2015: कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन पर। परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, सभी नई पर्यटन

		क्रियाकलापों या मौजूदा क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी-पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
12.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) 21.09.2004 में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा चित्रित मानचित्र के अनुसार और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02 मार्च, 2020 के अनुरूप सुखना वन्यजीव अभयारण्य के जलग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा रिट याचिका (सी) संख्या 18253 वर्ष 2009 और 5809 वर्ष 2015 में: न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन पर। परंतु, स्थानीय निवासियों को स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भवन उपनियमों के अनुसार पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध गतिविधियों सहित उनके वास्तविक आवासीय उपयोग के लिए अपनी भूमि पर निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण गतिविधि को लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किया जाएगा। (ग) इसके अलावा, नागरिक सुविधाओं का निर्माण और संवर्द्धन लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तारबिछाने तथा अन्य बुनियादी -ढांचे की व्यवस्था।	हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विनियमित होगा; भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) या प्राधिकरण, जिसे शक्तियां दी गई हैं, की पूर्व अनुमति के बिना वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय/राज्य कानूनों/वन कानूनों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई सड़कों का निर्माण और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना या सुदृढ़ करना लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अधीन विनियमित होगा।
16.	उच्च-तनाव पारेषण लाइनों का निर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा; भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विदेशी प्रजातियों को लाना लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होटल और लॉज के परिसरों की बाड़ लगाना लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा।
19.	वायु (ध्वनि सहित) और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

21.	पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप के लिए पर्यटकों के अस्थायी कब्जे के लिए पर्यावरण-अनुकूल कॉटेज जैसे टेंट, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्टों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस कचरे के निपटान के लिए लागू नियमों का पालन किया जाएगा।
23.	प्रदूषण रहित लघु उद्योग।	फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग, समय-समय पर संशोधित और गैर-खतरनाक, लघु-स्तरीय और सेवा उद्योग, कृषि, फूलों की खेती, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योग जो उत्पादों का उत्पादन करते हैं। पारिस्थितिकी-संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्री की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।
24.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से हवाई जहाज, गर्म हवा के गुब्बारे से उड़ान भरना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग.	लागू विधियों (अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर) के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
28.	डेयरी, डेयरी फार्मिंग और मत्स्य पालन के साथ-साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाएं।	पर्यावरण-अनुकूल कृषि और बागवानी की अनुमति दी जाएगी।
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, परंतु उपयोग की गई सामग्री पक्षियों और जानवरों को परेशान करने वाली रोशनी उत्पन्न और प्रतिबिंबित न करे।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	अनुमत होगा।
32.	जैविक खेती।	कानून के अधिन अनुमत होगा।
33.	वनस्पति बाड़ लगाना।	कानून के अधिन अनुमत होगा।
34.	ग्रामीण कारीगरों आदि सहित कुटीर उद्योग।	ग्रामीण कारीगरों सहित गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को अनुमति दी जाएगी।
35.	कृषि वानिकी ।	अनुमत होगा।
36.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	अनुमत होगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-

केंद्र सरकार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में क्रियाकलापों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	उपायुक्त, जिला पंचकुला	अध्यक्ष, 'पदेन;
2.	उप मुख्य वन्यजीव वार्डन, पंचकुला/मंडल वन्यजीव अधिकारी	सदस्य; पदेन;
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य; पदेन;
4.	जिला नगर योजनाकार, पंचकुला	सदस्य; पदेन;
5.	एच.एस.वी.पी. के प्रतिनिधि। हरयाणा	सदस्य; पदेन;
6.	भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य; पदेन;
7.	एम.सी. के प्रतिनिधि पंचकुला	सदस्य; पदेन;
8.	क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य; पदेन;
9.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर तीन वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नामित नहीं किया जाता है।	गैर सरकारी सदस्य;
10.	हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	गैर सरकारी सदस्य;
11.	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	गैर सरकारी सदस्य;
12.	आवास विकास के प्रतिनिधि, हरियाणा	सदस्य; पदेन;
13.	कृषि विकास के प्रतिनिधि, हरियाणा	सदस्य; पदेन;
14.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि, यू.टी	सदस्य; पदेन;
15.	राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि, हरियाणा	सदस्य; पदेन;
16.	प्रभागीय वन अधिकारी (टी) मोरनी-पिंजौर, हरियाणा	सदस्य सचिव; पदेन;

6. निगरानी समिति के कार्य:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश तक होगा, परंतु यह भी कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को हरियाणा सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामित किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो कि भारत सरकार, के एतद्पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, के अंतर्गत आते हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में हो रहे हों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के प्रावधानो के अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से पूर्व-क्लियरेन्स के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण के पास सन्दर्भित कर दिए गए हों।

(4) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(5) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(6) मामले दर मामले की आवश्यकता के आधार पर निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(7) निगरानी समिति अनुलग्नक-V में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय:-** इस अधिसूचना के उपबंधों को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, भी विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश:-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गए या जारी किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/35/2018-ईएसजेड]

डॉ. एस. केरकेट्टा , वैज्ञानिक-जी

अनुलग्नक-I

सुखना वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

बिंदु 1ए से 1ए/1	सुखना वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएस) के उत्तरी भाग पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किमी तक फैली हुई है और पूर्वी हिस्से की ओर जाती है। इस क्षेत्र में रिजर्व वन आते हैं। प्रेमपुरा गांव की बस्ती सुखना वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा के ऊपर स्थित है और यह प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के दायरे में आती है।
बिंदु 1ए/1 से 2ए	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण की ओर 2ए तक जाती है और रिजर्व वन के साथ-साथ समाप्त होती है।
बिंदु 2ए से 6ए	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की उत्तर-पूर्वी सीमा हरियाणा की ओर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा आरएफ की सीमा से शुरू होकर और सुखोमाजरा, धमाला, लोहगढ़ और मानकपुर ठाकरदास गांवों की राजस्व भूमि से होकर गुजरती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा आरएफ की सीमा पर समाप्त होती है। प्रस्तावित सीमा झाझरा नदी से होकर गुजरती है।
बिंदु 6ए से 8ए	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पूर्वी भाग हरियाणा की ओर और पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा आरएफ की सीमा के साथ दक्षिण की ओर ए तक जाती 8 है।
बिंदु 8ए से 10ए	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का पूर्वी भाग हरियाणा की ओर और पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रिजर्व वन की सीमा से शुरू होती है और रेलवे ट्रैक और गांव सूरजपुर के बस्ती क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसका समापन सूरजपुर गांव में आरएफ की सीमा पर होता है।
बिंदु 10ए से 11ए (10ए/1, 10ए/2, 10ए/3, 10ए/4)	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का पूर्वी भाग हरियाणा की ओर और पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रामपुर पीएफ की सीमा के साथ जाती है और नेपली आरएफ की सीमा पर समाप्त होती है।

बिंदु 11ए से 14ए	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का दक्षिण पूर्वी भाग हरियाणा की ओर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा नेपाली आरएफ क्षेत्र से शुरू होती है और चंडीमंदिर, कोटला और दर्रा खरौनी गांवों की राजस्व भूमि से होकर गुजरती है।
बिंदु 14ए से 15ए	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा दक्षिणी भाग हरियाणा की ओर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दर्रा खरौनी की राजस्व भूमि से शुरू होती है और केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान फार्म, पंचकुला के अंतर्गत क्षेत्र से होकर गुजरती है।
बिंदु 15ए से 16ए	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का दक्षिणी भाग हरियाणा की ओर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान फार्म, पंचकुला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से शुरू होती है और एचएसवीपी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है।
बिंदु 16ए से 18 ए	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन दक्षिणी भाग हरियाणा की ओर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा एचएसवीपी क्षेत्र से शुरू होती है और अंतरराज्यीय सीमा पर समाप्त होती है।

अनुलग्नक- **II**

सुखना वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा का स्थान मानचित्र (गूगल अर्थ)

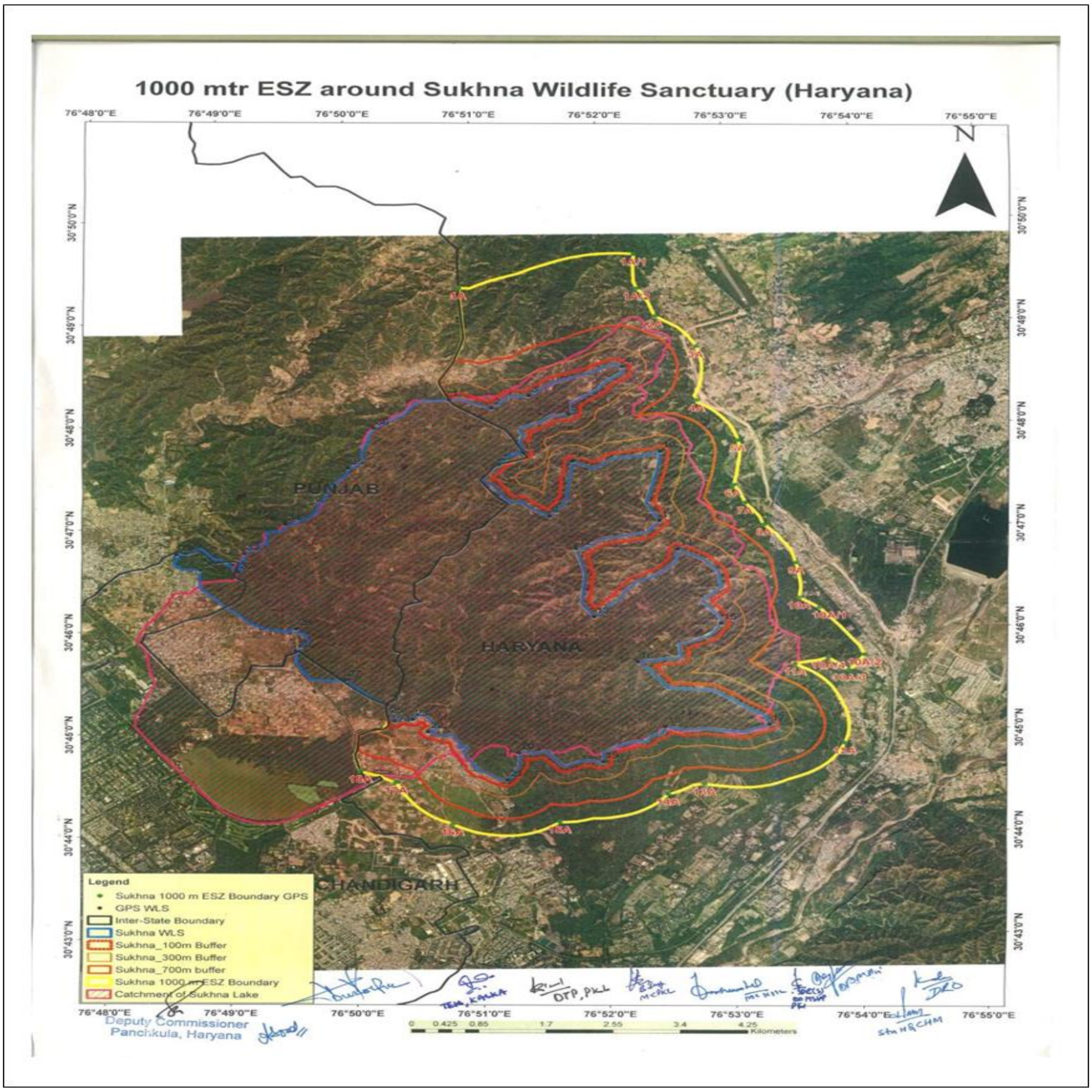

सुखना वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा का स्थान मानचित्र (टोपो शीट)

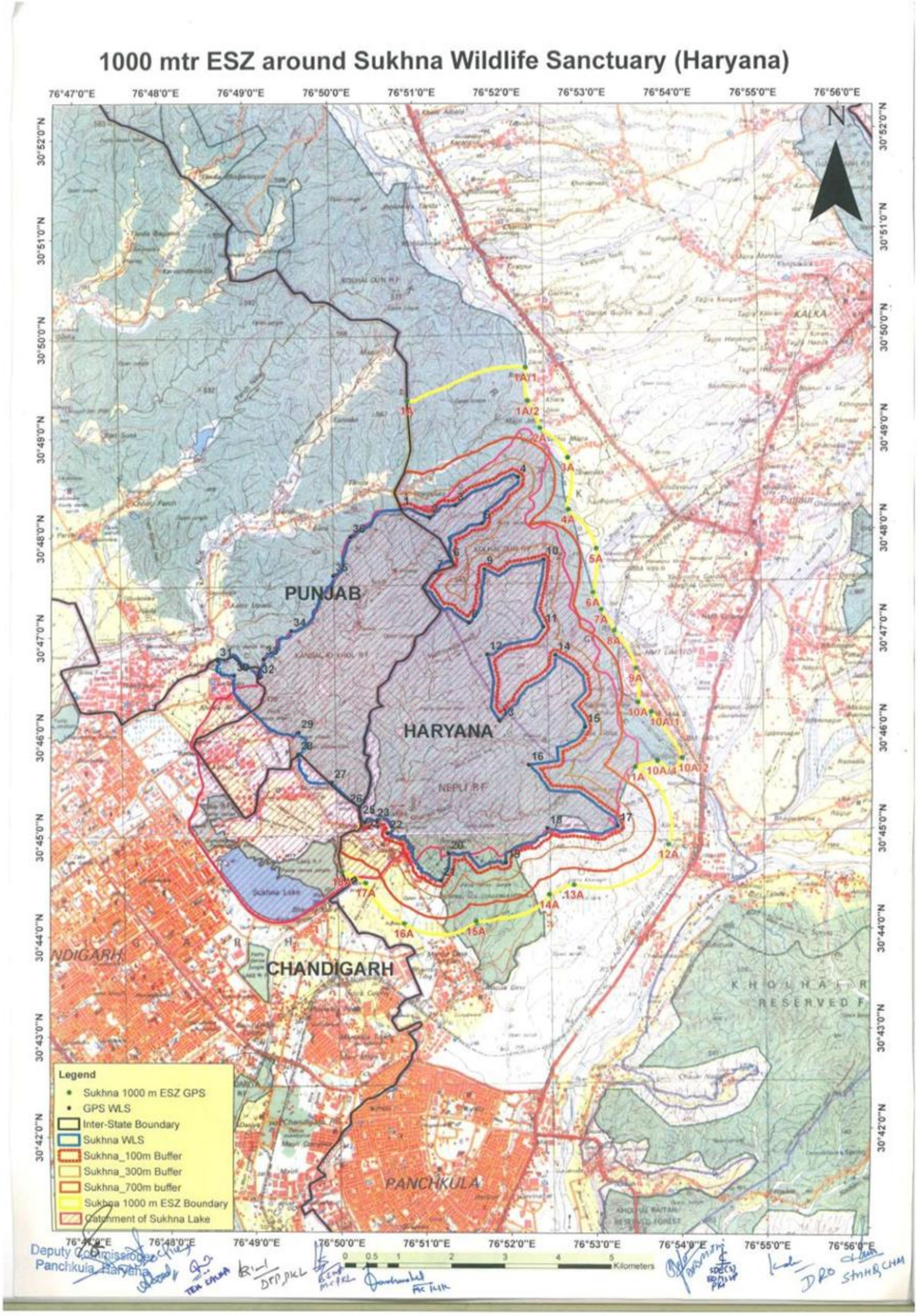

अनुलग्नक-III

सारणी क: सुखना वन्यजीव अभयारण्य सीमा के भू-निर्देशांक (डीएमएस प्रारूप में)

क्र. सं.	हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक	
	अक्षांश	देशांतर
1	30° 48' 14.489" उ,	76° 50' 48.118" पू
2	30° 48' 9.556" उ,	76° 51' 8.197" पू
3	30° 48' 16.577" उ,	76° 51' 26.254" पू
4	30° 48' 33.081" उ,	76° 52' 10.877" पू
5	30° 48' 5.626" उ,	76° 51' 45.077" पू
6	30° 47' 43.209" उ,	76° 51' 23.111" पू
7	30° 47' 36.410" उ,	76° 51' 11.337" पू
8	30° 47' 5.947" उ,	76° 51' 34.995" पू
9	30° 47' 38.053" उ,	76° 51' 46.305" पू
10	30° 47' 43.498" उ,	76° 52' 28.145" पू
11	30° 47' 2.914" उ,	76° 52' 27.175" पू
12	30° 46' 46.820" उ,	76° 51' 47.427" पू
13	30° 46' 6.758" उ,	76° 51' 55.363" पू
14	30° 46' 45.963" उ,	76° 52' 35.541" पू
15	30° 46' 2.483" उ,	76° 52' 55.636" पू
16	30° 45' 40.040" उ,	76° 52' 15.764" पू
17	30° 45' 2.847" उ,	76° 53' 17.545" पू
18	30° 45' 1.878" उ,	76° 52' 28.357" पू
19	30° 44' 41.538" उ,	76° 51' 58.565" पू
20	30° 44' 47.294" उ,	76° 51' 18.401" पू
21	30° 44' 31.391" उ,	76° 51' 12.683" पू
22	30° 45' 0.082" उ,	76° 50' 35.416" पू
23	30° 45' 7.383" उ,	76° 50' 28.231" पू
24	30° 45' 6.564" उ,	76° 50' 19.556" पू
25	30° 45' 9.252" उ,	76° 50' 16.411" पू
26	30° 45' 15.891" उ,	76° 50' 15.946" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भू-निर्देशांक (डीएमएस प्रारूप में)

क्र. सं.	हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित ईएसजेड के निर्देशांक		
	देशांतर	अक्षांश	सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दूरी (हरियाणा की ओर)
1ए	76° 50' 53.415" पू	30° 49' 20.144" उ	2026 मीटर
1ए/1	76° 52' 17.169" पू	30° 49' 39.304" उ	2035 मीटर
1ए/2	76° 52' 18.259" पू	30° 49' 19.125" उ	1421 मीटर
2ए	76° 52' 26.758" पू	30° 49' 2.753" उ	1000 मीटर
3ए	76° 52' 45.952" पू	30° 48' 44.854" उ	1000 मीटर
4ए	76° 52' 45.899" पू	30° 48' 13.469" उ	1000 मीटर
5ए	76° 53' 5.038" पू	30° 47' 49.818" उ	1000 मीटर
6ए	76° 53' 2.459" पू	30° 47' 23.490" उ	1000 मीटर
7ए	76° 53' 7.911" पू	30° 47' 13.111" उ	1260 मीटर
8ए	76° 53' 16.740" पू	30° 47' 0.340" उ	1000 मीटर
9ए	76° 53' 31.572" पू	30° 46' 37.702" उ	1000 मीटर
10ए	76° 53' 32.723" पू	30° 46' 17.305" उ	1000 मीटर
10ए/1	76° 53' 42.032" पू	30° 46' 11.391" उ	1301 मीटर
10ए/2	76° 54' 3.129" पू	30° 45' 43.585" उ	2327 मीटर
10ए/3	76° 53' 55.616" पू	30° 45' 34.673" उ	2129 मीटर
10ए/4	76° 53' 45.934" पू	30° 45' 42.011" उ	1862 मीटर
11ए	76° 53' 30.142" पू	30° 45' 38.376" उ	1000 मीटर
12ए	76° 53' 52.855" पू	30° 44' 51.739" उ	1000 मीटर
13ए	76° 52' 46.294" पू	30° 44' 28.126" उ	1000 मीटर
14ए	76° 52' 28.969" पू	30° 44' 22.391" उ	1000 मीटर
15ए	76° 51' 37.105" पू	30° 44' 6.716" उ	1000 मीटर
16ए	76° 50' 46.226" पू	30° 44' 5.977" उ	1000 मीटर
17ए	76° 50' 19.551" पू	30° 44' 30.679" उ	1000 मीटर
18ए	76° 50' 2.957" पू	30° 44' 37.444" उ	1000 मीटर

अनुलग्नक-IV

भू-निर्देशांक सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची (डीएमएस प्रारूप में)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश
1.	प्रेमपुरा (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 50' 54.917" पू	30° 48' 25.164" उ
2.	सुखोमाजरी (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 52' 36.656" पू	30° 48' 51.287" उ
3.	दामला (तहसील कालका एवं जिला पंचकुला)	76° 52' 46.111" पू	30° 48' 32.996" उ
4.	लोहगढ़ (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 52' 52.806" पू	30° 48' 3.862" उ
5.	मानकपुर, ठाकरदास (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 53' 2.776" पू	30° 47' 45.900" उ
6.	सूरजपुर (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 53' 25.241" पू	30° 46' 42.880" उ
7.	रामपुर (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 53' 53.841" पू	30° 45' 48.277" उ
8.	चंडीमंदिर कोटला (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 53' 44.730" पू	30° 44' 55.689" उ
9.	दारा खानोरी (तहसील कालका, जिला पंचकुला)	76° 52' 43.802" पू	30° 44' 34.904" उ
10.	सकेतड़ी/महादेवपुर (तहसील, जिला पंचकुला)	76° 50' 37.554" पू	30° 44' 53.046"

अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत:कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक) (पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भूअभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण अ-नुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित 2006 संवीक्षा किए गए मामलों का सार।विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, के अधीन न आने वाली गतिविधियों से सं 2006बंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार । 19 की धारा 1986
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

\

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

S.O. 1523(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, Sukhna Wildlife Sanctuary is under the administrative control of the Union Territory of Chandigarh and shares boundary with Punjab and Haryana. The Sanctuary is located in Shivalik foothills which are ecologically sensitive and geologically unstable. The total area of Sukhna Wildlife Sanctuary is 25.9849 sq. km. (6420.99 acres). It is situated in between the longitude and latitude (Left - 76.810241 E, Right - 76.888207 E, Top - 30.809699 N, Bottom - 30.742053 N).

AND WHEREAS, the Protected Area contains variety of topographical features and rich diversity of flora and fauna. Due to its ecological, faunal, floral, geo-morphological, natural and geological significance, for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its habitat, this area was declared as Wildlife Sanctuary vide Chandigarh Administration notification No. 694, HII (4)-98/4519 dated the 6th March, 1998;

AND WHEREAS, as per wildlife census carried out under the guidance of Wildlife Institute of India, Dehradun during 2010, many species as listed under Schedule-I of the Wildlife (Protection) Act 1972, have been reported in Sukhna Wildlife Sanctuary. The prominent species among them includes common Leopard (*Panthera pardus*), Sambar (*Rusa unicolor*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), Golden Jackal (*Canis aureus*), Indian Peafowl (*Pavo cristatus*), King Cobra (*Ophiophagus hannah*), Ajgar/ Indian Rock Python (*Python molurus*) and Monitor Lizard (*Varanus bengalensis*). Schedule-II species listed under the Wildlife (Protection) Act, 1972, present in Sukhna Wildlife Sanctuary includes Red Jungle Fowl (*Gallus gallus*), Russell's Viper (*Daboia russelii*) and Grey Langur (*Semnopithecus entellus)*;

AND WHEREAS, the sanctuary harbours a variety of butterflies and moths. The sanctuary inhabits termite anthills which harbour termites like *Microtermes* and *Odontotermis*- the organisms necessary for the decomposition of organic matter. The edible fungi present in the area include Puff Balls (*Lycoperdon pusillum)* and *Termitomyces;*

AND WHEREAS, from biodiversity richness point of view, it is home to a number of faunal species including the endangered Indian Pangolin and vulnerable Common leopard. Although, no critically endangered or endemic species is found in the area, yet it is necessary to conserve and protect the area for the remnant biodiversity present in the Protected Area;

AND WHEREAS, there are a number of species of trees, shrubs, climbers and herbs in the sanctuary besides a good representation of Thallophytes, Bryophytes, Pteridophytes and lichens. The prominent tree species are: Khair (*Acacia catechu*), Amla (*Emblica officinalis*), Baheda (*Terminalia bellirica*), Sain (*Terminalia alata*), Kachnar (*Bauhinia variegata*), Phulai (*Acacia modesta*), Kikar (*Acacianilotica*), Ronjh (*Vachellia leucophloea*), Shisham (*Dalbergiasissoo*), Chhal (*Anogeissus latifolia*), Neem (*Azadirachtaindica*), Semal (*Bombaxceiba*), Dhak (*Buteamonosperma*), Kachnar (*Bauhinia variegata*), Mulberry (*Morus alba*), Paper Mulberry (*Brossounetia papyrifera*), Jhingan (*Lannea coromandelica*), Tendu (*Dyospyrosmontana*), Karhi Patta (*Murraya koenigii)*, Mesquite (*Prosopisjuliflora*), Amaltas(*Cassia fistula*), Ber/ Indian Jujube (*Ziziphus jujube*). The prominent shrubs are Adusa/Common Cough Cure (*Justicia adhatoda*), Karaunda (*Carissa carandus*), Kainth (*Pyrus pashia*) and Samhalu (*Vitexnegundo*) etc. Maljhan/Camel Foot Climber (*Phanera vahlii*) is the prominent climber of the sanctuary;

AND WHEREAS, the main faunal species found in the area are Common Leopard (*Panthera pardus*), Sambar (*Rusa unicolor*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), Wild Boar (*Sus scrofa*), Jackal (*Canis aureus indicus*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Indian Crested Porcupine (*Hystrix indica*), Hanuman Langur (*Semnopithecus entellus*), Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*),

Indian Hare (*Lepus nigricollis*), Common Mongoose (*Urva edwardsii)*, Five Striped Squirel (*Funambulus pennati*) etc.;

AND WHEREAS, there are more than 250 species of birds including aquatic water fowls. Prominent among them are: Common Crow (*Corvus splendens*), Indian Sparrow (*Passer domesticus*), Bee Eater (*Merops orientalis*), Purple Sunbird (*Cinnyris asiaticus*) Indian Peafowl (*Pavo crsitatus*), Red Jungle Fowl, Grey Partridge (*Ortygornis pondicerianus*), Cuckoos, Indian Night Jar (*Caprimulgus asiaticus*), Eurasian Golden Oriole (*Oriolus oriolus*), White Throated Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*), Indian Swift (*Aerodramus unicolor)*, Common Hoopoe (*Upupa epops*), Hornbills, Coppersmith Barbet (*Megalaima haemacephala*), Brown Headed Barbet (*Megalaima zeylanica*), Black Rumped Flameback Woodpecker (*Dinopium benghalense*), Indian Roller (*Coracias benghalensis*), Barn Owl (*Tyto alba*), Rose Ringed parakeet (*Psittacula krameri*), Plum Headed Parakeet (*Himalayapsitta cyanocephala*) Alexandrine Parakeet (*Psittacula eupatria*) Ring Necked Dove (*Streptopelia capicola*), Spotted Dove (*Spilopelia chinensis*),Bronze-winged Jacana (*Metopidius indicus*), *Pheasant-tailed Jacana*(*Hydrophasianus chirurgus*), Red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus*), Eurasian *coot* (*Fulica atra*), Shikra (*Accipiter badius*), Geese, Swan, Ducks etc.;

AND WHEREAS, other important reptilian species in the sanctuary includes King Cobra (*Ophiophagus hannah*), Rat Snake (*Ptyas mucosa*), Common Krait (*Bungarus caeruleus*), Russell's Viper (*Daboia russelii*), Indian Python and Common Monitor Lizard etc. It also harbours variety of Butterflies among which Plain Tiger (*Danaus chrysippus*), Stripped Tiger (*Danaus genutia*), Common sergent (*Athyma perius*), Common Jezebel (*Delias eucharis*), Peacock Pansy (*Junonia almana*), Lemon Butterfly (*Papilio demoleus*), Blue Tiger (*Tirumala limniace), Common Leopard Butterfly (Phalanta phalantha) and Crow Butterfly (Euploea core*) are very common in the area. The honey bees (Apidae) are represented by Indian Rock Bee (*Apis dorsata*), Indian Bee (*Apis cerana indica*), Italian Bee (*Apis mellifera*) and Little Bee (*Apis florea*);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Sukhna Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

AND WHEREAS, the Government of Haryana vide its letter No. 682, dated 16th February, 2024 have specifically stated that this draft notification for declaration of Eco-sensitive Zone around Sukhna Lake Sanbctuary on the Haryana side is in conformity with the Order dated 02nd march, 2020 of the High Court of Punjab and Haryana in Writ Petition (C) No. 18253 of 2009 and 5809 of 2015: Court on its own motion Vs Chandigarh Administration.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to extent varying from **1.0 km to 2.035 km** from around the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary, in the State of Haryana as **Sukhna Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone** (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone-

(1) The Eco-sensitive Zone (ESZ) in general extends up to 1000 m from the boundary of the Sukhna Wildlife Sanctuary on the Haryana side. It is further extended to 2 km in the Reserved Forest on the northern side. On the eastern side, the ESZ boundary is mostly 1000 m, running along the boundary of the Reserved Forest. However, it is extended on the southeastern side to make it co-terminous with the boundary of the Reserved Forest. The total area of the Eco-Sensitive Zone is **24.60 sq. kms.**

(2) The Eco-sensitive Zone is divided into four zones. The extent of Zone-I will be 100 m from the boundary of the Sukhna Wildlife Sanctuary, while Zone-II will encompass the area falling between 100 m and 300 m from the boundary of the Protected Area. Zone-III will comprise the area falling within 300 m to 700 m from the boundary of the Protected Area. The remaining area from 700 m to 1000 m from the boundary of the Protected Area shall be designated as Zone-IV.

(3) Ten villages namely Prempura, Sokhomajri, Damala, Lohgarh, Manakpur Thakardas, Surajpur, Chandimandir Kotla, Darra Kharauni, Rampur and Saketari/Mahadevpur fall within the proposed ESZ. The total area of proposed ESZ will be 6078.98 acres (2460.07 ha). The proposed ESZ will encompass and include, *inter-alia,* following areas.-

i) Area comprising of Sector 1 and part of Sector 2 and 3 including Gymkhana Club under Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP).

ii) Some tube well chambers, Para Gliding Parks and area falling under Sector-1 MDC.

iii) Area falling under Chandimandir Cantonment (area including small arms firing range of military station Chandimandir, Central Soil & Water Conservation Research Farm.

iv) Part of area falling under MC Panchkula.

v) Out of ten villages falling in the proposed ESZ, two villages namely Saketri and Prempura fall within a radius of 700 meters from the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary. While the houses in Village Saketri are located along the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary at 0.00 m distance, the habitation of village Prempura is at a distance of 300 m to 700 m from the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary.

(4) The boundary description of such zone is given in **Annexure I**.

(5) The map of Eco sensitive Zone is appended as Annexure II.

(6) The latitudes and longitudes of the Sukhna Wildlife Sanctuary (Table A) and its Eco-Sensitive Zone (Table B) is appended as **Annexure III.**

(7) The list of villages falling within Eco-Sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone-

1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely: -

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipality;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(viii) Haryana State Pollution Control Board, for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendlier.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by the State Government- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) **Land use-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring

Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities given under para 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the respective State Governments, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change;

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Governments in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism: -** (i) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

a) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

b) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

c) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) New construction of hotels and resorts shall not be permitted within **Zone 1** (upto a distance of 100 m from the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side) and **Zone 2** (100 to 300 m from the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side).

(iv) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution -** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and as amendments thereto.

(7) **Air pollution-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number G.S.R. 351 (E), dated the 15th May, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents-** The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number G.S.R. 58 (E), dated the 27th February, 1975 and the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

(9) **Solid wastes-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste –** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 and as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016 and as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management -** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016 and as amended from time to time.

(13) **E-waste** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial units** -

(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated 03.06.2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated 26.04.2023 and 28.04.2023.
2.	Setting of new saw mills.	Prohibited.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
7.	Commercial water resources including ground water harvesting.	Commercial use of natural water resources including ground water shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone and all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water.
8.	Establishment of new thermal and major hydroelectric project.	Prohibited
9.	New wood-based industry.	No establishment of new wood-based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. Provided that only small-scale poultry farms by local farmers can be established for sustenance of their livelihood.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the catchment of Sukhna Wildlife sanctuary as per map delineated by the Survey of India in 21.09.2004 and in conformity with the Order

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		dated 02nd March, 2020 of the High Court of Punjab and Haryana in Writ Petition (C) No. 18253 of 2009 and 5809 of 2015: Court on its own motion Vs Chandigarh Administration. Provided that, up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Eco-Tourism Master Plan.
12.	Construction activities.	(a) No new constructions of any kind shall be permitted within the catchment of Sukhna Wildlife sanctuary as per map delineated by the Survey of India in 21.09.2004 and in conformity with the Order dated 02nd March, 2020 of the High Court of Punjab and Haryana in Writ Petition (C) No. 18253 of 2009 and 5809 of 2015: Court on its own motion Vs Chandigarh Administration. Provided that, local residents shall be permitted to undertake construction in their land for their bonafide residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 5 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution, shall be regulated, with the prior permission from the competent authority as per rules and regulations, applicable, if any. (c) Further, construction and augmentation of civic amenities shall be regulated as per rules and regulations, applicable if any.
13.	Erection of electrical and telecommunication towers.	Shall be regulated by State Government of Haryana; underground cabling shall be promoted.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or Private Land within the ESZ area without prior permission of the Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) or the Authority to whom the powers have been delegated. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central/State laws/Forest laws and the rules made thereunder.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Construction of new roads and widening or repair of existing roads in the Eco-sensitive Zone shall be regulated as per rules and regulations applicable, if any.
16.	Erection of high-tension transmission lines.	As per regulations, as applicable; underground cabling shall be permitted.
17.	Introduction of exotic species.	Introduction of exotic species shall be regulated in the Eco sensitive Zone as per applicable laws.
18.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Fencing of premises of hotels and lodges shall be regulated in the Eco-sensitive Zone as per applicable laws.
19.	Air (including noise) and vehicular pollution.	As Regulated under applicable laws.
20.	Commercial sign boards and hoardings.	As Regulated under applicable laws.
21.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	As Regulated under applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluents shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the applicable regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
24.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot air balloons.	As Regulated under applicable laws.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under laws applicable.
26.	Uses of plastic carry bags.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
27.	Eco-Tourism Activity.	Regulated under laws applicable.
	C. Promoted Activities	
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Eco-friendly agriculture and horticulture will be permitted.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted
30.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted provided that material used does not produce and reflect light that disturb birds and animals.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be permitted.
32.	Organic farming.	Permitted under law.
33.	Vegetative fencing.	Permitted under the law.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Non-polluting Cottage industries including village artisans will be permitted.
35.	Agro forestry.	Shall be permitted.
36.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be permitted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification- The Central Government for effective monitoring of the activities in the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Monitoring Committee which shall comprise of the following, namely: -

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner, District Panchkula	Chairman, '*ex-officio*';
2.	Deputy Chief Wildlife Warden, Panchkula / Divisional Wildlife Officer	Member; *'ex-officio';*
3.	Representative of Department of Rural Development & Panchayat, Haryana	Member; '*ex-officio*';
4.	District Town Planner, Panchkula	Member; '*ex-officio*';
5.	Representative of H.S.V.P. Haryana	Member; '*ex-officio*';
6.	Representative of Ministry of Environment, Forest & Climate	Member; '*ex-officio*';

	Change, Government of India	
7.	Representative of M.C. Panchkula	Member; '*ex-officio*';
8.	Regional Officer, Haryana Pollution Control Board	Member; '*ex-officio*';
9.	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Haryana for a period not exceeding three years, from time to time	Non official member;
10.	An expert in Biodiversity to be nominated by the Government of Haryana for a period not exceeding three years, from time to time	Non official member;
11.	One expert in Ecology from reputed institution or University of the State to be nominated by the Government of Haryana for a period not exceeding three years, from time to time	Non official member;
12.	Representative of Housing Development, Haryana	Member; '*ex-officio*';
13.	Representative of Agriculture Development, Haryana	Member; '*ex-officio*';
14.	Representative of District Collector, U.T	Member; '*ex-officio*';
15.	Representative of State Biodiversity Board, Haryana	Member; '*ex-officio*';
16.	Divisional Forest Officer (T) Morni- Pinjore, Haryana	Member Secretary '*ex-officio*';

6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be till further orders provided that the non-official members of committee shall be nominated by Govt. of Haryana from time to time every three years.

(3) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-V**, appended to this notification.

(8) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional measures: -** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Orders, Supreme Court, etc.: -** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/35/2018-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE SUKHNA WILDLIFE SANCTUARY

Point 1A to 1A/1	ESZ boundary on the Northern side of Sukhna Wildlife Sanctuary (SWS) is extended upto 2 km from the boundary of SWS and runs towards eastern side. The area consists of Reserve Forest. The habitation of village Prempura is located above the northern boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary and falls within the proposed ESZ boundary.
Point 1A/1 to 2A	ESZ boundary runs south wards upto 2A and is co-terminous with Reserve Forest.
Point 2A to 6A	North-Eastern boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side. The ESZ boundary starts from the boundary of RF and runs through revenue land of villages Sukhomajra, Dhamala, Lohgarh and Manakpur Thakardas. The ESZ boundary culminates on the boundary of RF. The proposed boundary passes through Jhajra River.
Point 6A to 8A	Eastern side of boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side and ESZ boundary runs south wards upto 8A along the boundary of RF.
Point 8A to 10A	Eastern side of boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side and ESZ boundary starts from the boundary of Reserve Forest and passes through railway track and habitation area of village Surajpur. It culminates at the boundary of RF at Surajpur village.
Point 10A to 11A **(10A/1, 10A/2, 10A/3, 10A/4)**	Eastern side of boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side and ESZ boundary runs along the boundary of Rampur PF and culminates on the boundary of Nepli RF.
Point 11A to 14A	South Eastern side of boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side. The ESZ boundary starts from Nepli RF area and runs through Revenue land of villages Chandimandir, Kotla and Darra Kharauni.
Point 14A to 15A	Southern side of boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side. The ESZ boundary starts from revenue land of Darra Kharauni and passes through area under Central Soil and Water Conservation Research Farm, Panchkula.
Point 15A to 16A	Southern side of boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side. The ESZ boundary starts from area under Central Soil and Water Conservation Research Farm, Panchkula and runs through area under HSVP.
Point 16A to 18 A	Southern side of boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary towards Haryana side. The ESZ boundary starts from and runs through HSVP area and culminates at interstate boundary.

ANNEXURE- II

LOCATION MAP OF SUKHNA WILDLIFE SANCTUARY, HARYANA (GOOGLE EARTH)

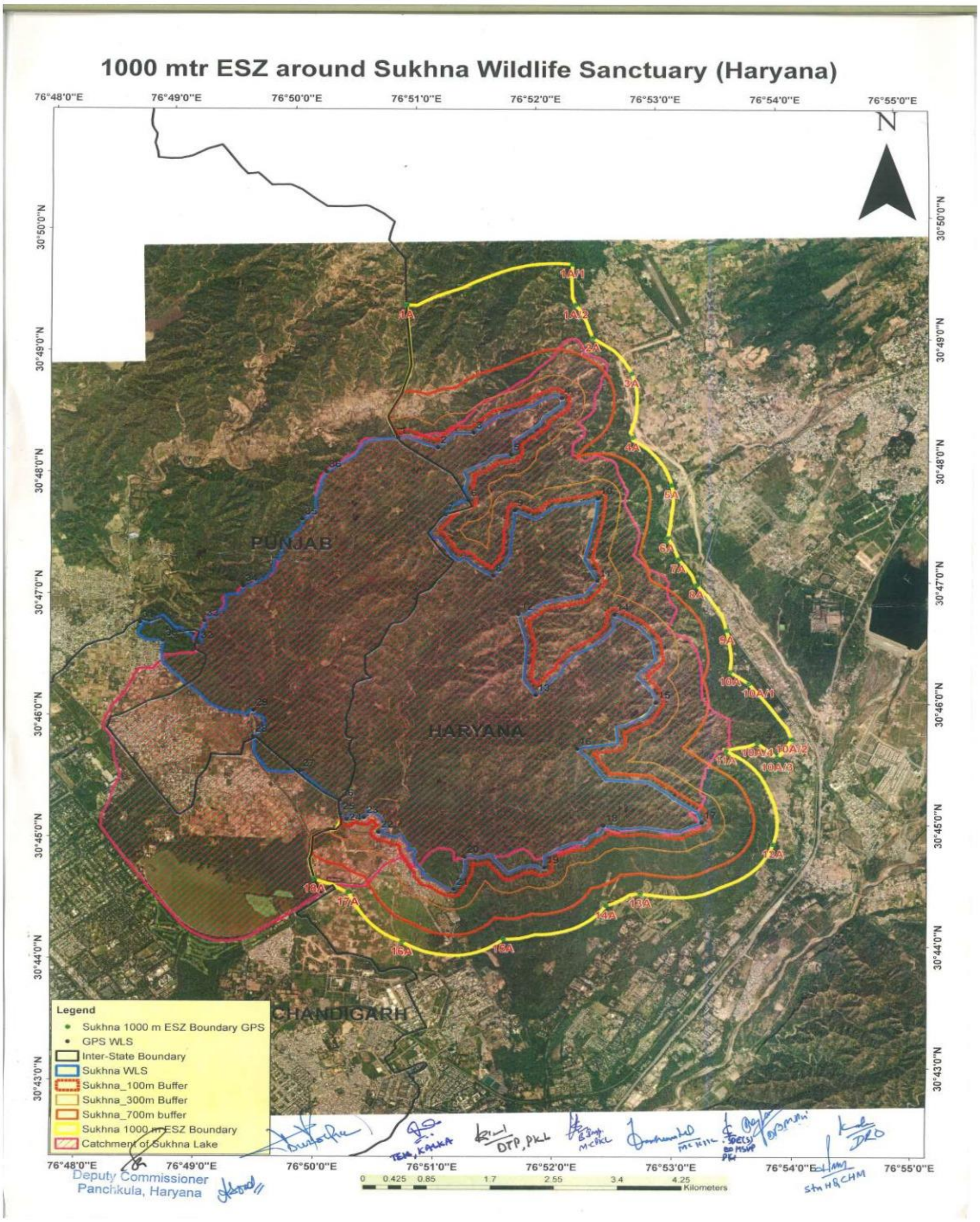

LOCATION MAP OF SUKHNA WILDLIFE SANCTUARY, HARYANA (TOPO SHEET)

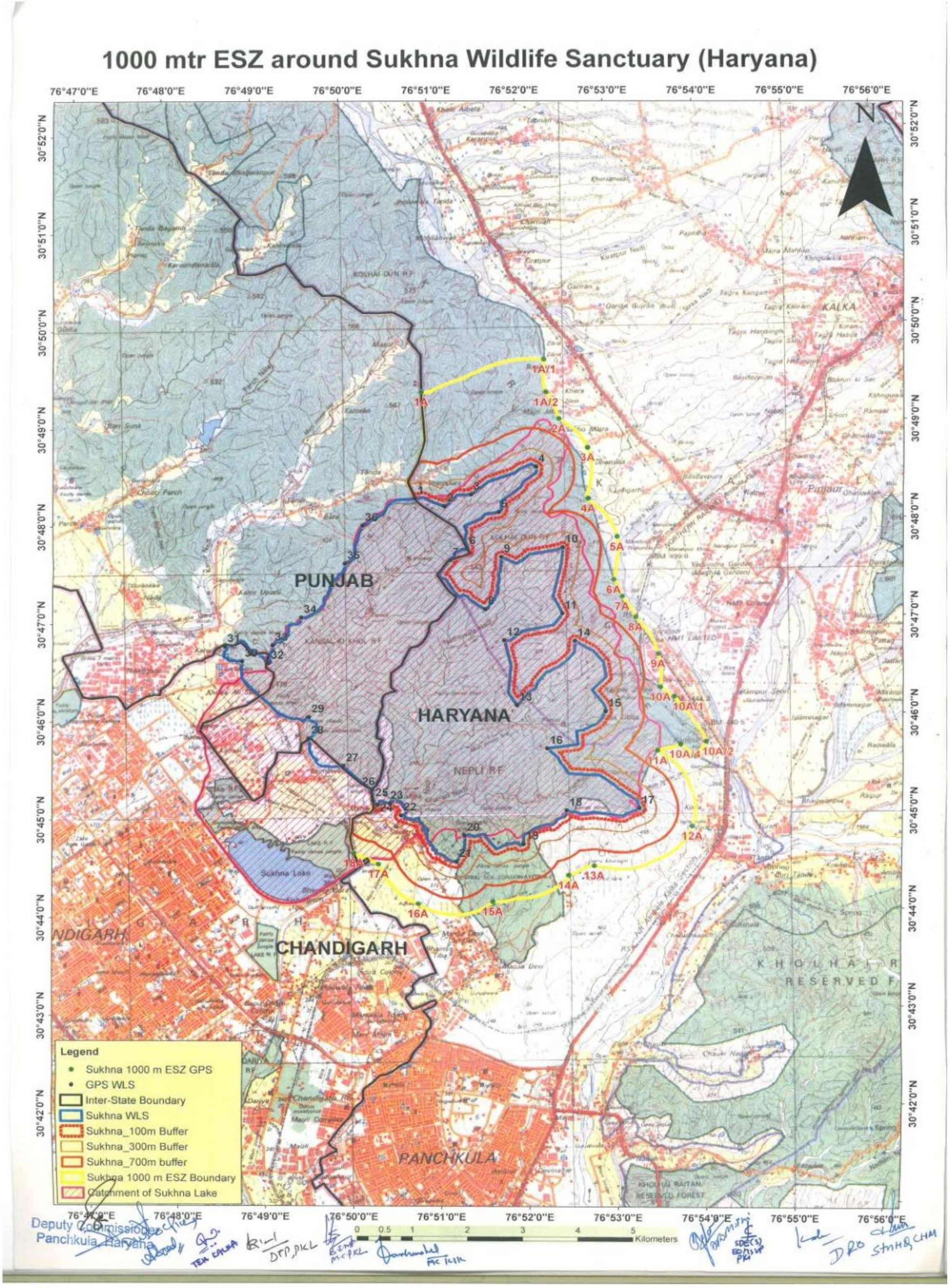

ANNEXURE-III

TABLE-A: GEO-COORDINATES OF SUKHNA WILDLIFE SANCTUARY (IN DMS FORMAT)

S. No.	Coordinates of Sukhna WLS towards Haryana Side	
	Latitude	Longitude
1	30° 48' 14.489" N,	76° 50' 48.118" E
2	30° 48' 9.556" N,	76° 51' 8.197" E
3	30° 48' 16.577" N,	76° 51' 26.254" E
4	30° 48' 33.081" N,	76° 52' 10.877" E
5	30° 48' 5.626" N,	76° 51' 45.077" E
6	30° 47' 43.209" N,	76° 51' 23.111" E
7	30° 47' 36.410" N,	76° 51' 11.337" E
8	30° 47' 5.947" N,	76° 51' 34.995" E
9	30° 47' 38.053" N,	76° 51' 46.305" E
10	30° 47' 43.498" N,	76° 52' 28.145" E
11	30° 47' 2.914" N,	76° 52' 27.175" E
12	30° 46' 46.820" N,	76° 51' 47.427" E
13	30° 46' 6.758" N,	76° 51' 55.363" E
14	30° 46' 45.963" N,	76° 52' 35.541" E
15	30° 46' 2.483" N,	76° 52' 55.636" E
16	30° 45' 40.040" N,	76° 52' 15.764" E
17	30° 45' 2.847" N,	76° 53' 17.545" E
18	30° 45' 1.878" N,	76° 52' 28.357" E
19	30° 44' 41.538" N,	76° 51' 58.565" E
20	30° 44' 47.294" N,	76° 51' 18.401" E
21	30° 44' 31.391" N,	76° 51' 12.683" E
22	30° 45' 0.082" N,	76° 50' 35.416" E
23	30° 45' 7.383" N,	76° 50' 28.231" E
24	30° 45' 6.564" N,	76° 50' 19.556" E
25	30° 45' 9.252" N,	76° 50' 16.411" E
26	30° 45' 15.891" N,	76° 50' 15.946" E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY (IN DMS FORMAT)

S. No.	Coordinates of Proposed ESZ of Sukhna WLS towards Haryana Side		
	Longitude	Latitude	Distance from the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary (toward Haryana side)
1A	76° 50' 53.415" E	30° 49' 20.144" N	2026 metre
1A/1	76° 52' 17.169" E	30° 49' 39.304" N	2035 metre
1A/2	76° 52' 18.259" E	30° 49' 19.125" N	1421 metre
2A	76° 52' 26.758" E	30° 49' 2.753" N	1000 metre
3A	76° 52' 45.952" E	30° 48' 44.854" N	1000 metre
4A	76° 52' 45.899" E	30° 48' 13.469" N	1000 metre
5A	76° 53' 5.038" E	30° 47' 49.818" N	1000 metre
6A	76° 53' 2.459" E	30° 47' 23.490" N	1000 metre
7A	76° 53' 7.911" E	30° 47' 13.111" N	1260 metre
8A	76° 53' 16.740" E	30° 47' 0.340" N	1000 metre
9A	76° 53' 31.572" E	30° 46' 37.702" N	1000 metre
10A	76° 53' 32.723" E	30° 46' 17.305" N	1000 metre
10A/1	76° 53' 42.032" E	30° 46' 11.391" N	1301 metre
10A/2	76° 54' 3.129" E	30° 45' 43.585" N	2327 metre
10A/3	76° 53' 55.616" E	30° 45' 34.673" N	2129 metre
10A/4	76° 53' 45.934" E	30° 45' 42.011" N	1862 metre
11A	76° 53' 30.142" E	30° 45' 38.376" N	1000 metre
12A	76° 53' 52.855" E	30° 44' 51.739" N	1000 metre
13A	76° 52' 46.294" E	30° 44' 28.126" N	1000 metre
14A	76° 52' 28.969" E	30° 44' 22.391" N	1000 metre
15A	76° 51' 37.105" E	30° 44' 6.716" N	1000 metre
16A	76° 50' 46.226" E	30° 44' 5.977" N	1000 metre
17A	76° 50' 19.551" E	30° 44' 30.679" N	1000 metre
18A	76° 50' 2.957" E	30° 44' 37.444" N	1000 metre

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES INSIDE THE ESZ AREA ALONGWITH GEO- COORDINATES (IN DMS FORMAT)

S. No.	Village name	Longitude	Latitude
1.	Prempura (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 50' 54.917" E	30° 48' 25.164" N
2.	Sukhomajri (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 52' 36.656" E	30° 48' 51.287" N
3.	Damla (Tehsil Kalka & District Panchkula)	76° 52' 46.111" E	30° 48' 32.996" N
4.	Lohgarh (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 52' 52.806" E	30° 48' 3.862" N
5.	Manakpur, Thakardas (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 53' 2.776" E	30° 47' 45.900" N
6.	Surajpur (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 53' 25.241" E	30° 46' 42.880" N
7.	Rampur (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 53' 53.841" E	30° 45' 48.277" N
8.	Chandimandir Kotla (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 53' 44.730" E	30° 44' 55.689" N
9.	Dara Khanori (Tehsil Kalka, District Panchkula)	76° 52' 43.802" E	30° 44' 34.904" N
10.	Saketri/Mahadevpur (Tehsil, District Panchkula)	76° 50' 37.554" E	30° 44' 53.046"

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee -

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged Under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.03.26 19:35:34 +05'30'